

प्रेस विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1()स्था./ आकाशि/गे.फे./2021-1255 दिनांक 11.06.2021 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त./सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 की एवं आयुक्तालय पत्रांक 1368 दिनांक 26.10.2021 की अनुपालना में महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा "विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत दर्शनशास्त्र(01), उर्दू(01), गृहविज्ञान(01), अर्थशास्त्र(01) निम्न विषयों में अनुभवी व्यक्तियों से गेस्ट फेकल्टी के पैनल हेतु परिपत्र के बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित स्तर से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 10.11.2021 सायंकाल 03.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थी/महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के तहत आवेदन करें। निजी अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जावेगा। आवेदन का प्रारूप तथा अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckaman/download> (आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्तों, शपथ पत्र आदि) को देखें।

हरवीर सिंह

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, कामां

भरतपुर (राज0)

संवाददाता- राजस्थान पत्रिका कामां / दैनिक भास्कर कामां / दैनिक नवज्योति कामां